



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-1, इन्दौर
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO. 1, INDORE

नवलखाए रेसीडेन्सी क्लब रोडए चिडिया घर के पासए इन्दौर (म.प्र.) 452001
NAVLAKHA, RESIDENCY CLUB ROAD, NEAR ZOO, INDORE (M.P.)-452001
दूरभाष (कार्यालय) /Phone (OFF) : (0731) 2701887ए 2701856
शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तभासी संस्थान (भारत सरकार.)
An Autonomous Body under Ministry of Education (Govt. of India)

DISE CODE:23260104912

KV CODE: 1110

CBSE NO:03280(OLD),54092(NEW)

CENTRAL ZONE: (04)

REGION: -03

STATION CODE: - 063

CBSE AFFILIATION NO: - 1000014

एफ. 5-3 / 2026-2027 / पीएम श्री केविन-1 इन्दौर / प्रथम एवं द्वितीयपाली / 06/10 दिनांक 04-04-2026

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल पत्रांक सं. फा. 27-1 / 2024 / आईसीसी / केविसं / भोपाल / 13270-337 दिनांक 14-01-2025 एवं कार्यालय आदेश सं. फा. 27-1 / 2024 / आई.सी.सी. / केविसं / भोपाल / 6942-49 दिनांक 16-08-2024 के आलोक में दिनांक 09-12-2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम-2013" की धारा 4(2) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-1, इन्दौर के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान से संबंधित इस विद्यालय के कार्यालय आदेश सं. एफ. 5-3 / 2024-2025 / पीएम श्री केविन-1 इंदौर / प्रथम एवं द्वितीयपाली / 754-758 दिनांक 16-01-2025 के द्वारा पूर्व में गठित समिति में संशोधन करते हुए "आंतरिक शिकायत समिति" (Internal Complaint Committee) का पुनर्गठन किया जा रहा है जो निम्नानुसार है:-

क	समिति में धारित पद	सदस्य का नाम एवं पदनाम पते सहित	क्षेत्राधिकार
1	Presiding Officer	Smt. Anju Salim, PGT(English) PM Shri KV.No.1, Indore(Shift-First)	To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at teaching staff upto the level of PGTs (except HMs) & non-teaching upto the level of ASO.
2	Female Member	Smt. Vandana Sharma, PGT(Commerce.), PM Shri K.V.No.1, Indore(Shift-First) Smt. Mary Nisha Edward, TGT(English), K.V.No.1, Indore(Shift-Second)	
3	Male Member	Sh. Dilip Kumar Patidar, PGT(English), PM Shri K.V.No.1, Indore(Shift-First) Sh. Pandurang Lanjewar, PGT(Chemistry), K.V.No.1, Indore(Shift-Second)	
4	NGO Member	Dr. Lalita Sharma, Director, Abhaunj Welfare Society, Vijay Nagar, Indore-452010	

- टिप्पणी:-1 पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
2 सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जायेगा, जिससे कि गठित की गई समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलायें होंगी।
3 कार्यस्थल पर महिलाओं का "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम-2013"/Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" की धारा 4(2) के प्रभारी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायें।

(सुधीर बाजपेयी)
प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 1
इन्दौर

वितरण:-

- 1 संबंधित सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 दोनों पालियों के सभी कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3 उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ हेतु।
- 4 नोटिस बोर्ड हेतु।
- 5 विद्यालय की वेबसाइट हेतु।